भारत गणराज्य की सरकार

और ऑस्ट्रेलिया सरकार

के बीच योग्यताओं की परस्पर

मान्यता के लिए तंत्र

भारत गणराज्य की सरकार और ऑस्ट्रेलिया की सरकार के बीच शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग को और समृद्ध एवं विस्तारित करने के लिए; और

यह स्वीकार करते हुए कि शिक्षा योग्यता की उचित और समय पर मान्यता छात्र और शोधकर्ता की गतिशीलता को बढ़ाएगी, और ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय शिक्षा प्रणालियों के स्नातकों और शोधकर्ताओं के लिए अधिगम और रोजगार के अवसर प्रदान करेगी; और

यह स्वीकार करते हुए कि स्पष्ट और कुशल मान्यता प्रक्रियाएं ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय शिक्षा संस्थानों के बीच मजबूत संस्थागत सहयोग की नींव रखेंगी;

भारत गणराज्य की सरकार और ऑस्ट्रेलिया सरकार ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय शिक्षा योग्यताओं की मान्यता के लिए व्यवस्था में सुधार करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने हेतु सहमत हैं:

1. प्रतिभागियों द्वारा योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए एक तंत्र (तंत्र) स्थापित किया जाता है।

उद्देश्य

2. इस तंत्र के उद्देश्य हैं:

   (क) ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए योग्यता मान्यता व्यवस्था स्थापित करना;
   (ख) समयबद्ध तरीके से योग्यता की मान्यता के लिए बाधाओं को कम करना, जिससे ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय छात्रों, स्नातकों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के लिए बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकें;
   (ग) योग्यता मान्यता और गुणवत्ता आश्वासन में सहयोग और चल रहे संवाद के लिए एक प्रभावी, कुशल और स्थायी साधन स्थापित करना; और
   (घ) सर्वोत्तम सिद्धांतों और प्रथाओं को मान्यता देने के लिए सूचना साझाकरण और क्षमता निर्माण करना।

कार्यक्षेत्र

3. नीचे दिए गए मान्यता परिणाम इस तंत्र के कार्यक्षेत्र से बाहर हो सकते हैं जहां उच्च शिक्षा तक पहुंच पेशेवर निकायों द्वारा विनियमित होती है।ऐसे मामलों में, प्रत्येक प्रतिभागी संबंधित योग्यताओं की मान्यता का सहयोग करने के लिए द्विपक्षीय चर्चाओं को सुविधाजनक बनाने हेतु अपने संबंधित पेशेवर निकायों को प्रोत्साहित करेगा।

कार्यान्वयन प्राधिकरण

4. इस तंत्र हेतु कार्यान्वयन प्राधिकरण भारत सरकार के लिए शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, और ऑस्ट्रेलिया सरकार के लिए शिक्षा विभाग, या समान मान्यता कार्य करने वाली उनकी उत्तराधिकारी संस्थाएं (कार्यान्वयन प्राधिकरण) हैं।

5. प्रतिभागी स्वीकार करते हैं कि विदेशी योग्यता की मान्यता पर निर्णयों का कार्यान्वयन उनके संबंधित नामित अधिकारियों की जिम्मेदारी है और घरेलू कानूनों, विनियमों, नीतियों और प्रक्रियाओं के अधीन हैं।

भारत में ऑस्ट्रेलियाई योग्यता की मान्यता

6. भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और उनके नामित प्राधिकरण निम्नलिखित द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी ऑस्ट्रेलियाई योग्यता फ्रेमवर्क (एक्यूएफ) योग्यताओं को मान्यता देंगे:

(क) ऑस्ट्रेलियाई राज्य और क्षेत्र पाठ्यक्रम मूल्यांकन और प्रमाणपत्र प्राधिकरण

(ख) तृतीयक शिक्षा गुणवत्ता और मानक एजेंसी (टीईक्यूएसए) द्वारा अनुमोदित और विनियमित उच्च शिक्षा प्रदाता;

(ग) ऑस्ट्रेलियाई कौशल गुणवत्ता प्राधिकरण (एएसक्यूए) या राज्य-आधारित व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण नियामक द्वारा रजिस्टर किए गए पंजीकृत प्रशिक्षण संगठन (आरटीओ)।

7. भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय निम्नलिखित एक्यूएफ योग्यता वाले स्नातकों को उच्च शिक्षा में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए समक्ष भारतीय योग्यता रखने वाला माना जाएगा:

(क) एक्यूएफवरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र भारतीय सीनियर स्कूल प्रमाणपत्रों के बराबर है और स्नातक डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश प्रदान करेगा;

(ख) एक्यूएफसर्टिफिकेट IV, डिप्लोमा, एडवांस्ड डिप्लोमा और एसोसिएट डिग्री योग्यता स्नातक डिग्री प्रोग्राम में प्रवेश प्रदान करेगी और जहां उपयुक्त होगा, क्रेडिट ट्रांसफर दिया जाएगा;

(ग) एक्यूएफस्नातक डिग्री मास्टर डिग्री प्रोग्राम में प्रवेश प्रदान करेगी;

(घ) एक्यूएफस्नातक ऑनर्स डिग्री मास्टर डिग्री प्रोग्राम और डॉक्टरेट डिग्री प्रोग्राम में प्रवेश प्रदान करेगी, जहां उपयुक्त हो।

(ङ) एक्यूएफस्नातक प्रमाणपत्र और स्नातक डिप्लोमा योग्यता, स्नातकोत्तर

(च) डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश प्रदान करेगी, और जहां उपयुक्त हो, क्रेडिट ट्रांसफर की अनुमति दी जाएगी।

(छ) एक्यूएफस्नातकोत्तर डिग्री एक डॉक्टरेट डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश प्रदान करेगी; और

(ज) अकादमिक और शोधकर्ता गतिशीलता का समर्थन करने के लिए एक्यूएफ डॉक्टरेट डिग्री को भारतीय डॉक्टरेट डिग्री के बराबर माना जाएगा।

8. भारत सरकार पैरा 7 में सूचीबद्ध योग्यता वाले स्नातकों को सामान्य रोजगार केप्रयोजनों के लिए समकक्ष भारतीय योग्यता रखने के रूप में मानेगी, जहां ऐसी योग्यताएंआवश्यक हैं।

9. अप्रत्याशित घटनाओं और ऑनलाइन प्रदान की गई योग्यताओं के संबंध में प्रावधान:

(क) अप्रत्याशित घटना की स्थिति में, पैरा 6, 7 और 8 में सूचीबद्ध योग्यता या तोआंशिक रूप से ऑनलाइन या पूरी तरह से ऑनलाइन या किसी अन्य मोड के माध्यमसे तुलनीय मानी जाएगी।

(ख) भारत सरकार के नामित अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन प्रदान की गई योग्यताओं की तुलना के लिए विचार किया जाएगा।

10. ऑस्ट्रेलिया के बाहर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्थाओं के माध्यम से प्रदान की जाने वाली योग्यताओं को तुलनीय माना जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया में भारतीय योग्यताओं को मान्यता

11. ऑस्ट्रेलिया की सरकार का शिक्षा विभाग सभी भारतीयों को मान्यता देगा:

(क) प्रासंगिक बोर्ड या वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदान की गई या भारत सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा योग्यता;

(ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और/या राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) और/या इसके समकक्ष निकाय और राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एससीवीटी) द्वारा अनुमोदित संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण योग्यताएं ।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई), साथ ही अन्य समकक्ष

निकायों द्वारा अधिकृत संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली उच्चतर शिक्षा योग्यता।

12. ऑस्ट्रेलिया की सरकार का शिक्षा विभाग उच्चतर शिक्षा में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए तुलनीय एक्यूएफ़ योग्यता रखने वाले निम्नलिखित भारतीय योग्यता वाले स्नातकों को मानेगा:

(क) भारतीय वरिष्ठ स्कूल प्रमाणपत्र (या भारत में इसके समकक्ष) शिक्षा के ऑस्ट्रेलियाई वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाणपत्र के बराबर हैऔर एक्यूएफ़स्नातक डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश प्रदान करेगा;

(ख) भारतीय तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण उप-डिग्री योग्यता, जहां उपयुक्त हो, एक्यूएफ उप-डिग्री योग्यता के बराबर है।

(ग) एनएसक्यूएफ़ प्रमाण पत्र, डिप्लोमा और उन्नत डिप्लोमा योग्यता एक्यूएफ़ स्नातक डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश प्रदान करेगी और; जहां उपयुक्त हो, क्रेडिट ट्रांसफर प्रदान किया जाएगा;

(घ) स्नातक प्रमाण पत्र और स्नातक डिप्लोमा योग्यता उपयुक्त स्तरों पर एक्यूएफ़स्नातक डिग्री प्रोग्राम में प्रवेश के लिए योग्य होगी, और जहां उपयुक्त हो, क्रेडिट ट्रांसफर की अनुमति दी जाएगी।

(ड.) स्नातक डिग्री, एक्यूएफ स्नातक प्रमाणपत्र, स्नातक डिप्लोमा और स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश प्रदान करेगी, और जहां उपयुक्त हो, क्रेडिट ट्रांसफर की अनुमति दी जाएगी।

(च) स्नातक की डिग्री (ऑनर्स/रिसर्च),स्नातकोत्तर डिप्लोमा[1] और स्नातकोत्तर डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री एक्यूएफ़ स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम (अनुसंधान स्नातकोत्तर डिग्री सहित) और / या एक्यूएफ़ डॉक्टरेट डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश प्रदान करेगी।

फुटनोट

1 स्नातकोत्तर डिप्लोमा स्नातक की डिग्री के बाद किया जाता है और एक/दो साल की अवधि का होता है। भारत में एक दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा डॉक्टरेट कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए योग्य होगा, बशर्ते इसे भारत में नियामक निकायों के मौजूदा मानदंडों के अनुसार मास्टर डिग्री के समकक्ष माना जाए।

(छ) एनएसक्यूएफ़ स्नातक डिग्री और स्नातकोत्तर डिप्लोमा योग्यता,एक्यूएफ़स्नातकोत्तर डिग्री प्रोग्राम में प्रवेश प्रदान करेगी और; जहां उपयुक्त हो, क्रेडिट ट्रांसफर प्रदान किया जाएगा;

(ज) अकादमिक और शोधकर्ता गतिशीलता का समर्थन करने के लिए डॉक्टरेट डिग्री को एक्यूएफ डॉक्टरेट डिग्री के तुलनीय माना जाएगा।

13. ऑस्ट्रेलिया सरकार सामान्य रोजगार के प्रयोजनों के लिए तुलनात्मक ऑस्ट्रेलियाई योग्यता रखने वाले पैरा 12 में सूचीबद्ध योग्यता वाले स्नातकों को मानेगी, जहां ऐसी योग्यताएं आवश्यक हैं।

14. अप्रत्याशित घटनाओं और ऑनलाइन प्रदान की गई योग्यताओं के संबंध मेंप्रावधान:

(क) अप्रत्याशित घटना की स्थिति में, पैरा 11 और 12 में सूचीबद्ध योग्यता या तो आंशिक रूप से ऑनलाइन या पूरी तरह से ऑनलाइन या किसी अन्य मोड के माध्यम से तुलनीय मानी जाएगी;

(ख) ऑस्ट्रेलिया की सरकार के नामित अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन प्रदान की गई योग्यताओं को तुलना के लिए विचार किया जाएगा।

15. भारत के बाहर अंतरराष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से प्रदान की गई योग्यताओं को तुलनीय माना जाएगा।

योग्यता की मान्यता में सहयोग को बढ़ावा देना

16. दोनों प्रतिभागी योग्यता की मान्यता से संबंधित मामलों में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर समर्थन और सहयोग का विस्तार करेंगे।

17. योग्यताओं की मान्यता में सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिभागियों ने कार्यान्वयन प्राधिकरणों के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर योग्यता मान्यता कार्यान्वयन पर एक संचालन समिति की स्थापना की।

18. प्रतिभागी, आपसी दृढ़ संकल्प से, संचालन समिति में शामिल होने के लिए अपनेसंबंधित नामित अधिकारियों और उद्योग हितधारकों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सकते हैं।

19. संचालन समिति का कार्य लक्षित अनुसंधान करना, ऑस्ट्रेलियाई और भारतीयहितधारकों के साथ जुड़ना और व्यापक परामर्श करना होगा:

(क) उच्चतर शिक्षा और रोजगार तक पहुंच को बाधित करने वाली योग्यताओं की मान्यता के लिए बाधाओं की पहचान करना और रिपोर्ट करना;

(ख) योग्यता की मान्यता के लिए बाधाओं को समाप्त या कम करने के लिए क्रियान्वयन विकल्पों और समयसीमा सहित सिफारिशें करना, जिसमें शामिल हैं:

(i) विचार किए जाने हेतु योग्यता के क्षेत्र; और

(ii) नीति-संबंधी सुधारों और राष्ट्रीय योग्यता प्रणाली एवं कार्यढांचे, और गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली में बदलावों पर रिपोर्टिंग करना;

(ग) योग्यता मान्यता और गुणवत्ता आश्वासन में सरकार-दर-सरकार के बीच चल रहे समन्वय के लिए क्रियान्वयन व्यवस्था प्राधिकरणों के साथ विकल्पों को खोजना और विकसित करना; और

(घ) प्रभावी द्विपक्षीय समन्वय को सुगम बनाने के लिए मजबूत नींव विकसित करना।

20. संचालन समिति इस तंत्र के प्रारंभ होने के छह महीने के भीतर क्रियान्वयन प्राधिकरणों को अपनी पहली प्रगति रिपोर्ट प्रदान करेगी और ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद को अपनी पहली बैठक के 12 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें देगी।

21. क्रियान्वयन प्राधिकरण इस तंत्र को इसके प्रारंभ होने अथवा अन्यथा सहमति के अनुसार तिथि से एक वर्ष तक समीक्षा करेगा।

पूर्ववर्ती पाठ भारत गणराज्य की सरकार और ऑस्ट्रेलिया सरकार के बीच चल रहे संस्थागत समन्वय और सहयोग की सुविधा के लिए ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय शैक्षिक योग्यताओं की मान्यता को सुगम बनाने हेतु समझ का प्रतिनिधित्व करता है और छात्रों, स्नातकों और शोधकर्ताओं को दोनों देशों की समृद्धि में योगदान करने के लिए सहायता करता है।

नई दिल्ली में 02.03.2023 को अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में दो प्रतियों में हस्ताक्षरित, दोनों ग्रंथों की वैधता समान है।

भारत गणराज्य की सरकार के लिए	**ऑस्ट्रेलिया सरकार के लिए**
धर्मेंद्र	Jason Clare